59

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
मुख्य योजना –2021 की समीक्षा
Master Plan Review–2021

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC. D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 3432
Dated 23/5/12

पंजीकरण फार्म
REGISTRATION FORM

"ओपन हाउस मीट्स"
"OPEN HOUSE MEETS"

Zone : G

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए Form to be filled by Participant	
नाम Name	Sudarshan Pahwa
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	Subhash Nagar Vikas Parishad M.CD Ward No-112
वर्तमान स्थिति Present Position	President
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	9999246305
फैक्स : Fax :	—
ई–मेल E-mail	—
पता : Address :	2/107-Subhash Nagar New Delhi 110027
हस्ताक्षर : Signature :	[signature]
तिथि : Date :	22-5-2012

"अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं
"Submit your registration form at the venue of Open House meets."

सुभाष नगर विकास परिषद्

निगम वार्ड संख्या 112

क्र.सं : 02/2012 सुभाष नगर विकास परिषद् दिनांक 22.05.2012

सेवा में,

निदेशक (योजना)
डी.डी.ए. जोन (सी एवं जी),
तीसरा तल, विकास मीनार,
नई दिल्ली

SUDARSHAN PAHWA
PRESIDENT
SUBHASH NAGAR VIKAS PARISHAD
RES. ADD-. 2/107 SUBHASH NAGAR
NEW DELHI – 110027
M. NO -9999246305

विषय : मास्टर प्लान दिल्ली 2021 की समीक्षा के संदर्भ में दिल्ली का भविष्य 2021 पर सुझाव हेतु पत्र।

महोदय,

निवेदन यह है कि आपके विभाग द्वारा दिनांक 18.02.2012 व दिनांक 24.04.2012 को दैनिक जागरण के समाचार पत्र में दिये गये उपरोक्त विषय के विज्ञापन के संदर्भ में सुभाष नगर विकास परिषद् की ओर से दिल्ली के नागरिकों के हित में दिल्ली का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए कुछ सुझाव दिये जा रहे हैं। जैसाकि आप सब को मालूम है कि देश की आज़ादी के बाद पाकिस्तान छोड़कर भारत आए नागरिकों को दिल्ली में बसाने के लिए अलग-अलग नगरों में लीज़ होल्ड व फ्री होल्ड के अर्न्तगत कॉलोनियों में सौ गज व अस्सी गज के प्लॉट में एक-एक कमरा बनाकर नागरिकों को आबंटित (Allotment) किये गये थे, जब एक कमरे सहित सौ गज व अस्सी गज के प्लॉट आबंटित (Allotment) किये गये थे उस समय एक परिवार में छः से आठ तक की संख्या थी अर्थात माता-पिता के अलावा पांच व छः बच्चे होते थे। समय के साथ-साथ परिवार बढ़ता गया उसी आबंटित (Allotment) प्लॉट में ही एक-दो मंजिल बनाकर पचास-पचास गज व चालीस-चालीस गज के हिस्से कर के रहने लगे। आज भी लाखों की संख्या में लोग रह रहे हैं।

पिछले 15-20 वर्षों से दिल्ली में बिल्डर माफियों का राज हो गया। बिल्डिरों ने पूरी दिल्ली में चालीस, साठ व सौ गज का फ्लोर बनाकर बेचने शुरु कर दिये।

आज भी दिल्ली विश्व के कई देशों से बड़ी है अर्थात दिल्ली की लगभग जनसंख्या एक करोड़ पचास लाख (1.50 करोड़) है। इनमें से आधे लोगों के पास अपनी छत ही नहीं है। इस समय दिल्ली में मकान बनाने की जगह बची ही नहीं है।

इस पत्र में उल्लेखित समस्याओं को मध्य नज़र रखते हुए दिल्ली के नागरिकों को भविष्य बेहतर बनाने के लिए सुभाष नगर विकास परिषद् की ओर से दिल्ली के नागरिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिये जा रहे हैं। जोकि निम्न प्रकार से हैं :-

(1) <u>दिल्ली में फ्लोर के अनुसार नक्शा पास किया जाये।</u>

दिल्ली में फ्लोर के अनुसार नक्शा पास ना होने के कारण दिल्ली के लोग पचास गज, चालीस गज व सौ गज के फ्लोर में बिना नक्शा पास कराये रहने के लिए मजबूर हैं इसलिए आपको सुझाव दिया जाता है कि दिल्ली में फ्लोर के अनुसार नक्शा पास किया जाये।

(2) <u>दिल्ली की फ्री-होल्ड/लीज होल्ड कालोनियों में रहने वाले नागरिकों ने वास्तविक प्लाट से 5 से 10 फुट तक जो प्लाट में बढ़ोतरी की गई उसकी कीमत लगाकर नियमीत (Regularize) कर दिया जाय।</u>

दिल्ली में कुल लगभग 1600 से उपर अनाधिकृत कालोनियां है जिनमें लाखों की संख्या में नगारीक रहते हैं। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 1600 अनाधिकृत कालोनियों में से 1000 कालोनियां नीजि भूमि पर बसी हुई हैं तथा शेष 600 कालोनियां सरकारी भूमि पर बसी हुई हैं। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के नागरिकों के हित में सरकारी भूमि पर बसी हुई 600 कालोनियों सहित कुल 1600 कालोनियों को नियमीत (Regularize) करने का प्रयास किया जा रहा है जो कि नागरिकों के हित के लिए अच्छी योजना है। जिसप्रकार सरकारी भूमि पर बसी हुई 600 कालोनियों को नियमीत (Regularize) किया जाएगा ठीक उसी आधार पर ही दिल्ली में रह रहे फ्री होल्ड/लीज होल्ड कालोनियों के नागरिकों द्वारा वास्तविक प्लाट में जो 5 से 10 फुट की बढ़ोत्तरी की गई है अर्थात 5 से 10 फुट तक की बढ़ी हुई भूमि की कीमत लगाकर उसे भी नियमीत (Regularize) किया जाय जो कि नागरिकों के हित में है।

(3) <u>दिल्ली में 50 गज से लेकर 100 गज तक वाले प्लाट में फ्लोर एरिया बढ़ाया जाय अर्थात भूमि तल से लेकर चतुर्थ मंजिल तक मकान बनाने की अनुमति दी जाये तथा फ्लोर के अनुसार नक्शा पास किया जाये।</u>

आज भी दिल्ली विश्व के कई देशों से बड़ी है अर्थात दिल्ली की लगभग जनसंख्या एक करोड़ साठ लाख (1.60 करोड़) है। इनमें से आधे लोगों के पास अपनी छत ही नहीं है। इस समय दिल्ली में मकान बनाने की जगह बची ही नहीं है इसलिए दिल्ली में 50 गज से लेकर 100 गज तक वाले प्लाट में फ्लोर एरिया बढ़ाया जाय अर्थात भूमि तल से लेकर चतुर्थ मंजिल तक मकान बनाने की अनुमति दी जाये तथा फ्लोर के अनुसार नक्शा पास किया जाये।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली के नागरिकों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए सुभाष नगर विकास परिषद् द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं उन पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए सुझावों को कार्यान्वित करके सुभाष नगर विकास परिषद् को अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे।

धन्यवाद!

भवदीय

सुदर्शन पाहवा
प्रधान
सुभाष नगर विकास परिषद

329